कम्प्यूटर संख्या : 1920026 / 14-6-19

पत्रसंख्या–सी0सी0टी0 / निरी0अनु0 / 01 / (2019–20) / 271 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 14 जून 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) / (कारपोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आई0टी-NIC साफ्टवेयर-2014-15 / 495 / वाणिज्य कर / (कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1415066) दिनांक 05-09-2014 एवं मुख्यालय परिपत्र संख्या -आई0टी-NIC साफ्टवेयर/ 2014-15 / 245/ वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415040) दिनांक 30-06-2014 द्वारा कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण कार्य के सम्बन्ध में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत जारी नोटिस एवं कर निर्धारण आदेश की धारा-28(2)(i) तथा धारा-28(2)(ii) के अंतर्गत कर निर्धारण आदेश, धारा-25(i) के अंतर्गत जारी नोटिस एवं अस्थायी कर निर्धारण आदेश, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-9(2), धारा-10-A के अंतर्गत जारी नोटिस एवं अस्थायी / अंतिम कर निर्धारण आदेश तथा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा-9(4) एवं 10(1) के अंतर्गत जारी नोटिस एवं अंतिम / अस्थायी कर निर्धारण आदेश एवं उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-54 (1)(14), धारा-54(1)(2) एवं धारा-48(5) के अंतर्गत जारी नोटिस एवं आदेश, उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-8-A, धारा-17(11) एवं धारा-29 के अंतर्गत जारी नोटिस एवं आदेश से सम्बन्धित समस्त कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण कार्य नोटिस एवं आदेश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन ही निर्गत किये जायेगें । समस्त नोटिस / आदेश के प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध हैं । इस सम्बन्ध में मुख्यालय परिपत्र संख्या-आई0टी-NIC साफ्टवेयर/ 2014-15/ 322 / वाणिज्य कर कम्प्यूटर परिपत्र संख्या -1415051 दिनांक 22-07-2014 द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी निर्गत की गयी है ।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि फील्ड के कुछ अधिकारियों द्वारा धारा-32, धारा-31 एवं प्रतिप्रेषित वाद के ऑनलाइन आदेश निर्गत न करके मैनुअल आदेश निर्गत किये जा रहे हैं, जो उचित नही है ।

अत: निर्देशित किया जाता है कि समस्त कर निर्धारण वादो एवं अर्थदण्ड के मामलों का निस्तारण ऑनलाइन नोटिस एवं आदेश निर्गत करते हुए करना सुनिश्चित किया जाय । प्रत्येक दशा में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी वाद कालबाधित न हो ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।